Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सरकार बनाम रेवंतराम

किस्म मुकदमा:– धारा अन्तर्गत 212 आरटीए

मुकदमा 50 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.2024	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजि.एडी. नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी तहसीलदार लूनकरनसर को सुना गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित भूमि वाके रोही दुलमेरा खसरा नंबर 15 मे रकबा 4.73 हैक्टेयर भूमि में आगामी पेशी तक इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसमें यदि अप्रार्थी को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। आदेश टी.आई. जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 30.04.2024 को पेश हो। Rajendra	जारी 372 22/3/24
30/04/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते [illegible] आयन्दा दि. 20/05/24 को पेश हो। Rajendra	
20/05/24	पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश / अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 25/06/24 को पेश हो। [signature] रीडर	
25/06/24	पत्रावली पेश हुई। राजपरीकार उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद रजि. नोटिस उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। राजपरीकार द्वारा बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस सुनी गयी। प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 RTA आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक [illegible] जारी रखी जाती है। पत्रावली निर्णय में [illegible] हेतु [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Rajendra	

उपखण्ड अधिकारी

लूणकरणसर